भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2134
दिनांक 20.12.2022/ 29 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस के बीच आपसी विवाद

†2134. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत छह महीनों में किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उस राज्य में प्राथमिकी दर्ज की गई हो को गिरफ्तार करने और उससे पूछताछ करने के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच आपसी विवाद हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं:
(ग) क्या मंत्रालय ने अन्य राज्य में पुलिस की कार्रवाई के लिए तय प्रक्रिया नियम निर्धारित किए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या देश में पुलिस बल के अत्यधिक राजनीतिकरण के कारण विभिन्न राज्यों में अनेक प्राथमिकी दर्ज की जाती है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को निर्धारित दिशानिर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं, ताकि अन्य राज्यों में पुलिस की कार्रवाई के दौरान इनका अक्षरशः पालन किया जा सके?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच टकराव की घटनाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है।

(ग) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराध को रोकने, उनका पता लगाने, उनका पंजीकरण और जाँच करने तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी है। राज्य पुलिस प्राधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरश: पालन करना होगा। हालांकि, गृह मंत्रालय ने इस संबंध में प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है।

*****